कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/गुण. एवं प्रशि. अनु./ई–कक्षा/मिशन स्टार्ट/61187/2023–24 दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषयः– Mission START के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु शालादर्पण पोर्टल पर शेड्यूल के अनुरूप नियत समय पर मॉड्यूल एंट्री किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यालय हाजा के समसंख्यक पत्र दिनांक : 20.09.2023 राजकाज रेफ नं. 4746524 एवं परिपत्र दिनांक : 03.12.2025 राजकाज रेफ नं. 19226208 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार विभाग द्वारा ब्लेंडेड लर्निंग के प्रयोग से शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु Mission START (Support for Teaching with Advance Remedial Techniques) संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषतः ऐसे विद्यालयों में भी विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करना है, जहाँ विषयाध्यापकों के पद रिक्त हैं अथवा शिक्षक अनुपस्थित हैं।

इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल के अनुरूप तैयार डिजिटल ई–कंटेंट हार्डडिस्क/उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। मिशन स्टार्ट के माध्यम से ऐसे समस्त विद्यालयों में विषयाध्यापकों के पदरिक्ति अथवा शिक्षक अनुपस्थिति की स्थिति में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कन्टेन्ट के माध्यम से अध्ययन करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जाना है कि शिक्षकों की कमी का प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थी की अध्ययन निरन्तरता पर न हो। साथ ही, जिन विद्यालयों में विषयाध्यापक उपलब्ध हैं, वहाँ कठिन विषयवस्तु को सरल रूप में समझाने हेतु ई–कंटेंट का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, ताकि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया अधिक सुदृढ़, सुगम एवं परिणामोन्मुख बन सके। उक्त कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए–

1. विद्यालय में रिक्त पदों एवं अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा मिशन स्टार्ट कार्यक्रम हेतु विकसित स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल के अनुरूप, विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उसी विषय के रिक्त कालांशों की पूर्ति हेतु संबंधित विषय के अध्यापन के लिए समय–सारणी का निर्माण किया जाना अनिवार्य हैं।
2. निर्मित समय–सारणी का प्रिंट प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर, कक्षा 9 से 12 तक विषयवार शैक्षिक रिक्त पदों के अनुरूप ई–कंटेंट का उपयोग निर्धारित समय–सारणी के अनुसार किया जाए।
3. स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल के अनुसार निर्मित समय–सारणी को प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को शालादर्पण मॉड्यूल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्ट किया जाना आवश्यक हैं।
4. School Lesson Guidance Module for Mission START के तहत् विद्यालय में निर्धारित कालांश सारणी के अनुरूप विषय के रिक्त कालांश की पूर्ति हेतु उसी विषय के शिक्षण के लिए उपयोग किये जाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय–सारणी को प्रविष्टि करने वं उक्तानुसार ई–कन्टेन्ट के माध्यम से करवाये गये शिक्षण कार्य को प्रदर्शित करने के लिए शाला–दर्पण पर एक मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, जिसका पथ निम्नानुसार हैं–

विद्यालय >>> आईसीटी >>> साप्ताहिक स्मार्ट क्लास टाइम टेबल

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Gopal Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2026.02.04 15:29:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20291771

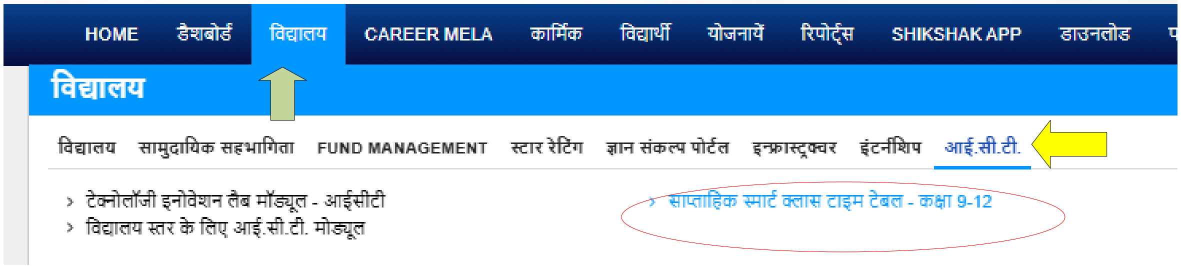

5. शालादर्पण लॉगिन पर उक्त समय–सारणी प्रविष्टि की मॉनिटरिंग फील्ड़ अधिकारियों द्वारा की जानी हैं, जिसका पथ निम्नानुसार हैं–

रिपोर्ट (न्यू) >>> विद्यालय >>> WEEKLY MISSION START TIME TABLE MONITORING REPORT

S.N.	Menu	Program	Program Type
1	REPORTS (NEW) » School » WEEKLY MISSION START TIME TABLE MONITORING REPORT REPORTS (NEW) » School » WEEKLY MISSION START TIME TABLE MONITORING REPORT	WEEKLY MISSION START TIME TABLE MONITORING REPORT WEEKLY MISSION START TIME TABLE MONITORING REPORT	Report Page

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के टास्क संख्या 2.2 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फील्ड स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग की जानी अत्यावश्यक हैं, इसे सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार समयबद्ध रूप से नियमित रूप से इसे अद्यतन किया जाये, इससे गतिविधि की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव हो सकेगा तथा समय पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(डॉ. रामगोपाल शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(गुणवता एवं नवाचार)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Gopal Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2026.02.04 15:29:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20291771

8. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने के संबंध में।
9. प्रबंध निदेशक, विद्या समीक्षा केन्द्र, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(गुणवता एवं नवाचार)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Gopal Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2026.02.04 15:29:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20291771